भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- 332
उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

गुणवत्तायुक्त शिक्षा हेतु सुविधाओं का अभाव

***332. श्री राम शिरोमणि वर्मा:**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर श्रावस्ती और बलरामपुर के आकांक्षी जिलों के सरकारी विद्यालयों एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए आधुनिक अवसंरचना, बुनियादी सुविधाओं एवं आधुनिक शिक्षण उपकरणों की सुलभता के अभाव की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उक्त समस्याओं के समाधान के लिए श्रावस्ती और बलरामपुर के आकांक्षी जिलों में क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसे गांवों में सड़कें बनाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं जहां बच्चों के उक्त विद्यालयों तक पहुंचने के लिए कोई सड़कें नहीं है; और
(घ) सरकार द्वारा वर्षा ऋतु में सरकारी विद्यालयों में जलभराव, जिससे बच्चों को आने-जाने एवं पढ़ाई करने में काफी कठिनाई होती है, की समस्या के स्थायी समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

'गुणवत्तायुक्त शिक्षा हेतु सुविधाओं का अभाव' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2025 को पूछा गया लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 332 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए।

समग्र शिक्षा के तहत, मौजूदा स्कूल बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और संवर्धन के लिए उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता प्रति वर्ष संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित की जाती है तथा उनके वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी&बी) प्रस्तावों में दर्शाई जाती है। इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों, पहले स्वीकृत कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति और बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने राज्य में ऑपरेशन कायाकल्प कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और समग्र विद्यालयों में बच्चों और दिव्यांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण और निर्माण करना है। इस कार्यक्रम के तहत शौचालय (सीडब्ल्यूएसएन-अनुकूल सहित), सुरक्षित पेयजल, बिजली, कक्षा का फर्नीचर और चारदीवारी जैसे प्रमुख मापदंडों को शामिल किया जाता है।

बड़े पैमाने पर की गई इस पहल के परिणामस्वरूप, स्कूलों में प्रमुख मापदंडों की औसत संतृप्ति में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, ऑपरेशन कायाकल्प को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया गया है, जिसमें श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे आकांक्षी जिले शामिल हैं, जहाँ बुनियादी ढाँचे का विकास प्राथमिकता रहा है। श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में, प्रमुख मापदंडों के लिए संतृप्ति स्तर क्रमशः 92% और 94% तक पहुँच गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सबसे अविकसित क्षेत्र भी बेहतर शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इस पहल के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य सभी बच्चों, विशेष रूप से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अधिक समावेशी, सुरक्षित और अच्छी तरह से समर्थ शिक्षण वातावरण बनाना है, जिससे पूरे राज्य में बेहतर शैक्षिक परिणामों को बढ़ावा मिल सके।

इसके अलावा, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, जो बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 का अनुपालन करने वाली उपयुक्त सरकार हैं, और आरटीई अधिनियम, 2009 की अनुसूची में निर्धारित मानदंडों और संबंधित राज्य के आरटीई नियमों के अनुसार स्कूलों में बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी और अधिदेश रखते हैं। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें स्कूलों तक पहुँच को आसान बनाने और उन सभी बुनियादी ढाँचे संबंधी बाधाएं को दूर करने के लिए भी जिम्मेदार हैं जो छात्रों की स्कूलों तक पहुँच को बाधित/प्रतिबंधित कर सकती हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य के सरकारी विद्यालयों में मनरेगा के तहत विद्यालय परिसर में मिट्टी भराई एवं जल निकासी की व्यवस्था करने के संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

*****